[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 07th May, 2025

NOTIFICATION

No. 9-3/2024-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was submitted by TCG Centres for Research and Education in Science and Technology (TCG CREST), a not-for-profit Company on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to TCG CREST, Kolkata, West Bengal.

3. **And whereas,** UGC, vide its letter no. 45-1/2023(CPP-I/DU) dated 16.02.2024, informed that the application was examined by the UGC with the help of an Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

4. **And whereas**, this Ministry considering the advice of the UGC, issued Letter of Intent dated 11.03.2024 for Institution deemed to be University status under distinct category to TCG CREST, Kolkata, West Bengal, with the following conditions:

i. The proposed Institution deemed to be University shall prepare their MoA & rules as per the UGC Regulations, 2023.
ii. The Sponsoring body shall create and maintain a Corpus fund of Rs.25 Crore in the name of the proposed Institution deemed to be University.
iii. The proposed Institution deemed to be University shall align the curriculum as per the NEP-2020.
iv. The Sponsoring body shall prepare detailed syllabi for the proposed programmes.
v. The Sponsoring body shall submit revised Detailed Project Report (DPR), Strategic Vision Plan and Rolling implementation plan accordingly.
vi. The Sponsoring body shall submit approval of respective Statutory Councils for the proposed courses.
vii. The Sponsoring body shall submit Land ownership document in the name of the proposed deemed to be University or the sponsoring body as per Clause 6(2)(d) of the UGC Regulations, 2023.
viii. The Sponsoring body shall create necessary infrastructure like administrative area, classrooms, library, lecture halls, labs, hostels, health care, common facilities, etc.

ix. Faculty required as per UGC norms should be appointed with qualification as prescribed by the regulatory body (s) in the proposed Departments. The Sponsoring body shall recruit adequate faculty with requisite qualification.

x. The Institution shall submit NoC from Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR).

xi. The nomenclature of proposed programmes should be in accordance with the list of degrees specified by the UGC under Section 22 of the UGC Act, 1956.

5. **And whereas**, the Director, TCG CREST, vide his letter dated 12.09.2024, submitted compliance report in respect of the above conditions. The same was forwarded to UGC for verification and advice.

6. **And further whereas**, UGC, vide its letter dated 23.04.2025 informed that the compliance report was placed before the UGC Expert Committee for verification. The Committee made certain observations and recommended that the TCG CREST, Kolkata may be granted deemed to be University status under distinct category with certain conditions. The recommendation of the Committee was considered and approved by the Commission in its 589th meeting (Item No. 2.04) held on 03.04.2025.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares TCG CREST, Kolkata, West Bengal as an Institution deemed to be University under distinct category subject to compliance of the following conditions:

i. The sponsoring body shall create necessary infrastructure like administrative area, classrooms, library, lecture halls, labs, hostels, health care, common facilities etc.

ii. The sponsoring body shall recruit the required faculty as per UGC norms with requisite qualifications as prescribed by the regulatory bodies.

iii. The institution shall submit NoC from Academy of Scientific and Innovative Research AcSIR).

iv. The Sponsoring body shall take prior approval of respective statutory councils, wherever applicable.

v. The Sponsoring body shall commence the programmes in accordance with the list of degrees specified by the UGC under Section 22 of the UGC Act, 1956.

vi. TCG CREST, Kolkata shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 and its amendments, from time to time.

vii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.

viii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

ix. TCG CREST, Kolkata shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

x. The academic programmes to be offered at TCG CREST, Kolkata shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

xi. TCG CREST, Kolkata shall align its course with National Education Policy-2020.

xii. TCG CREST, Kolkata shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

xiii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by TCG CREST, Kolkata.

xiv. TCG CREST, Kolkata shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xv. TCG CREST, Kolkata shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xvi. TCG CREST, Kolkata shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xvii. TCG CREST, Kolkata shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पू कि बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 23383432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

<u>Copy forwarded to</u>: -

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
2. The Director, TCG CREST, Kolkata, West Bengal.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
5. The Vice-Chancellor, Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), AcSIR Headquarters CSIR-HRDC Campus, Postal Staff College Area, Sector 19, Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201002

6. Under Secretary (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
7. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tele.: 23381578

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 07 मई, 2025

अधिसूचना

सं.9-3/2024-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि,** टीसीजी सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (टीसीजी क्रेस्ट), जो एक गैर-लाभकारी कंपनी है, द्वारा टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. **और जबकि,** यूजीसी ने दिनांक 16.02.2024 के अपने पत्र संख्या 45-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जांच की गई।

4. **और जबकि,** इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को निम्नलिखित शर्तों के साथ, विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने हेतु दिनांक 11.03.2024 को आशय पत्र जारी किया:

i. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्था यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार अपना संगम ज्ञापन और नियम तैयार करेगा।
ii. प्रायोजक निकाय प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर 25 करोड़ रुपये का एक कॉर्पस निधि बनाएगा और उसका रखरखाव करेगा।
iii. प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्था एनईपी-2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करेगा।
iv. प्रायोजक निकाय प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा।
v. प्रायोजक निकाय तदनुसार संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), कार्यनीतिक विजन योजना और अनवरत कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करेगा।

प्रिंकिव

vi. प्रायोजक निकाय प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित सांविधिक परिषदों का अनुमोदन प्रस्तुत करेगा।

vii. प्रायोजक निकाय यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 6(2)(घ) के अनुसार प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के नाम पर भू स्वामित्व का दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

viii. प्रायोजक निकाय अपेक्षित अवसंरचना जैसे प्रशासनिक क्षेत्र, कक्षाएं, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य सुविधाओं आदि का निर्माण करेगा।

ix. प्रस्तावित विभागों में नियामक निकाय (संस्थाओं) द्वारा निर्धारित योग्यता सहित यूजीसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक संकाय की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रायोजक निकाय अपेक्षित योग्यता वाले पर्याप्त संकाय की भर्ती करेगा।

x. संस्था वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर) से एनओसी प्रस्तुत करेगी।

xi. प्रस्तावित कार्यक्रमों का नामकरण यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्री की सूची के अनुसार होना चाहिए।

5. **और जबकि**, निदेशक, टीसीजी क्रेस्ट ने दिनांक 12.09.2024 के अपने पत्र के माध्यम से उपरोक्त शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया।

6. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 23.04.2025 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन हेतु यूजीसी की विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी गई थी। समिति ने कुछ टिप्पणियां कीं और सिफारिश की कि टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता को कुछ शर्तों के साथ विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। समिति की सिफारिश पर आयोग ने 03.04.2025 को हुई अपनी 589वीं बैठक (मद सं. 2.04) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

7. **अब, इसलिए**, शिक्षा मंत्रालय, एतद द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन एक विशिष्ट श्रेणी के तहत टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है:

i. प्रायोजक निकाय अपेक्षित अवसंरचना जैसे प्रशासनिक क्षेत्र, कक्षाएं, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य सुविधाएं आदि का निर्माण करेगा।

ii. प्रायोजक निकाय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता के साथ यूजीसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक संकाय की भर्ती करेगा।

iii. संस्था वैज्ञानिक और अभिनव अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर) से एनओसी प्रस्तुत करेगी।

iv. प्रायोजक निकाय जहां भी लागू हो, संबंधित सांविधिक परिषदों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

v. प्रायोजक निकाय यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्री की सूची के अनुसार कार्यक्रम शुरू करेगा।

vi. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 और समय-समय पर इसके संशोधनों का अनुपालन करेगा।

vii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचन पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्त अनुपालन किया जाएगा।

viii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय माने जाने वाली संस्था/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्ति या निधि/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

ix. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने की प्रकृति का हो।

x. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित वैधानिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

xi. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।

xii. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता हेतु सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराने और संस्था को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

xiii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी, और उनका अनुपालन टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता द्वारा किया जाएगा।

xiv. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या पुनःसंशोधित या संशोधित करेगा।

xv. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का अनुपालन करेगा।

प्रुफिक

xvi. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xvii. टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता अनिवार्य रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) तैयार करेगा, अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएँ।

पृ‍ष्ठ बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002.

<u>प्रति अग्रेषित</u>: -

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
2. निदेशक, टीसीजी क्रेस्ट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070।
4. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
5. कुलपति, वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर), एसीएसआईआर मुख्यालय सीएसआईआर-एचआरडीसी परिसर, पोस्टल स्टाफ कॉलेज क्षेत्र, सेक्टर 19, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201002
6. अवर सचिव (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सीएमआईएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
7. गार्ड फाइल / अधिसूचना फाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23381578